पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-136

दिनांक- 20.01.2026

जोन- दक्षिणी/थाना- गोसाईगंज

- **03 महीने से अधिक समय से वांछित चल रहे गैंगेस्टर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में लूट व छिनैती की घटनाएं करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में गैंगलीडर अभियुक्त मो0 आरिफ उर्फ चीनी पुत्र अजीज अहमद निवासी मकान नम्बर 181, प्रेमनगर 20 फुटा रोड थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व गैंग के सदस्यों 1. राहुल गुप्ता पुत्र नीवर राम गुप्ता निवासी मकान नम्बर 8, कैसरबाग निकट जनता काफी हाउस थाना कैसरबाग लखनऊ 2.मो0 नासिर पुत्र मो0 इस्माइल निवासी मकान नम्बर 551/397 आजाद नगर थाना कृष्णानगर लखनऊ 03-आजम पुत्र मोबीन निवासी दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध दिनांक 30.09.2025 को गैंगेस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त राहुल गुप्ता उपरोक्त मुकदमा लिखे जाने के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में 02 मुकदमे एवं थाना नाका में 01 मुकदमा दर्ज हैं। अभियुक्त शातिर किस्म का है, जिसके द्वारा गैंग में रहकर आपराधिक घटनाएं कारित की जाती थी। अभियुक्त राहुल गुप्ता की गिरफ्तारी के लिये थाना गोसाईगंज से पुलिस टीम का गठन किया गया था, पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 19.01.2026 की रात्रि को अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राहुल गुप्ता पुत्र नीवर राम गुप्ता निवासी मकान नम्बर 8, कैसरबाग निकट जनता काफी हाउस थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष

03-आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 148/21 धारा 395/412/34 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ
2. मु0अ0सं0 289/20 धारा 188/269/271 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना नाका, लखनऊ
3. मु0अ0सं0 858/25 धारा 2(ख)(1)/2(ख)(11)/3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर अधिनियम थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ

04-गिरफ्तारी/कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

1. SHO श्री डी.के. सिंह (प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज)
2. उ0नि0 श्री दिव्यांशु तिवारी
3. हे0का0 रमाशंकर सिंह
4. का0 लवकुश तिवारी
5. का0 बृजेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-135
दिनांक- 20.01.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 370/2025 धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस विरुद्ध मनोज जायसवाल पुत्र राजेन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम भीखपुर कला, अचल नगर चौराहा पोस्ट पेकौली बाजार थाना जैतपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर बावत अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना, मारपीट करना, वादिनी की अश्लील फोटो और विडियो वायरल करने की धमकी देना, वादिनी व उसके माता –पिता को गाली गलौज देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया।

आज दिनांक 20.01.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनोज जायसवाल पुत्र राजेन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम भीखपुर कला, अचल नगर चौराहा पोस्ट पेकौली बाजार थाना जैतपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर को प्रभारी निरीक्षक गुडम्बा के निर्देशिन में उ0नि0 श्री जिलाजीत यादव मय हमराही पुलिस बल के ग्राम बेहटा थाना क्षेत्र गुडम्बा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया जिसके विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. मनोज जायसवाल पुत्र राजेन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम भीखपुर कला, अचल नगर चौराहा पोस्ट पेकौली बाजार थाना जैतपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 370/2025 धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गुडम्बा लखनऊ

04-अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा:-

1. SHO श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव
2. उ0नि0 श्री जिलाजीत यादव
3. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह
4. हे0का0 राजन त्रिपाठी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 20.01.2026

मिशन शक्ति 5.0: गली-मोहल्लों में महिला सशक्तिकरण का संदेश

थाना वजीरगंज की टीम द्वारा"मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत क्रिश्चियन कॉलेज व सिटी स्टेशन के बाहर (महिलाओं और बच्चो) को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर साइबर अपराध एवं यातायात सुरक्षा के सम्बन्ध में किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति के तहत, थाना वजीरगंज की द्वारा एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल के द्वारा टीम ने गली-मोहल्लों में महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुँचाते हुए स्थानीय महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। यह प्रयास महिला सुरक्षा के नए सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो 'पिंक बूथ' की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और समुदाय में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की **पिंक बूथ** एक प्रमुख पहल प्रदेश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह **पिंक बूथ** उन सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक असगरी बानो, थाना वजीरगंज लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 सोनी यादव, थाना वजीरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- क्रिश्चियन कॉलेज व सिटी स्टेशन के बाहर

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक असगरी बानो, थाना वजीरगंज लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 सोनी यादव, थाना वजीरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 सत्या सरोरज, थाना वजीरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- क्रिश्चिन कालेज व सिटी स्टेशन के बाहर रोड़ पर **राहगीरो (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक।**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.01.2026 को क्रिश्चियन कॉलेज व सिटी स्टेशन के बाहर रोड़ पर राहगीरो करीब 25- 30 महिलाओ (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में महिलाओं को अपने साथ हो रहे अपराधों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी- (यूपी कॉप) एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया।

"मिशन शक्ति" के लक्ष्य:

- **सुरक्षा जागरूकता:** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा) की रोकथाम और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता फैलाना।
- **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- **शिक्षा का महत्व:** छात्राओं को शिक्षा के महत्व और करियर के अवसरों के बारे में प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य और स्वच्छता:** महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी साझा करना।
- **डिजिटल सुरक्षा:** साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना।

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल

- **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **यूपी कॉप ऐप (UP COP App):** उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-133
दिनांक 20/01/2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **मोटरसाईकिल चोरी करने वाले 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 02 अदद मोटरसाईकिल (01 अदद चोरी व 01 अदद घटना में प्रयुक्त) बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.01.2026 को वादी कमल किशोर पुत्र स्व0 परिदीन, निवासी ग्राम धोधन खेड़ा, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ की HF Deluxe मोटरसाइकिल सं0-UP 32 KT 9580 विद्या हॉस्पिटल, हरिकंशगढ़ी के बाहर से चोरी हो गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 023/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 19.01.2026 को समय करीब 18:30 बजे पुलिस टीम घटना के अनावरण के प्रयास में गोपालखेड़ा पुल, रायबरेली रोड के पास मौजूद थी। इसी दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि डलौना रेलवे क्रासिंग, किसान पथ पुल के नीचे तीन व्यक्ति दो मोटरसाइकिलों के साथ खड़े हैं, जिनमें से एक मोटरसाइकिल विद्या हॉस्पिटल से चोरी की गई है।

इसी सूचना पर पुलिस टीम द्वारा डलौना रेलवे क्रासिंग, किसान पथ पुल के नीचे से समय करीब 19:45 बजे तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई HF Deluxe मोटरसाइकिल सं0-UP32KT9580 बरामद की गई। मोटरसाइकिल की पहचान वादी मुकदमा द्वारा मौके पर की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि नशे की लत एवं आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने योजना बनाकर मोटरसाइकिल चोरी की तथा उसे बेचने का प्रयास कर रहे थे।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सुमित शुक्ला पुत्र स्व0 मिठुलाल शुक्ला, निवासी बलदेव बिहार, तेलीबाग, थाना पीजीआई, लखनऊ उम्र 26 वर्ष
02-शिवराज यादव पुत्र राम मनोहर यादव, निवासी ग्राम रघुनाथ खेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ उम्र 26 वर्ष
03-मनीष पाल पुत्र गंगा राम पाल, निवासी सेक्टर-05, तेलीबाग, थाना पीजीआई, लखनऊ उम्र 30 वर्ष

03-बरामदगी-

- 01 अदद मोटरसाईकिल UP32KT9580 (एच0एफ0डिलक्स) (चोरी की मोटरसाइकिल)
- 01 अदद मोटरसाईकिल स्पेलेन्डर मोटर साईकिल UP 35 AL 1977 (घटना में प्रयुक्त)

04-अभियुक्त मनीष पाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 328/24 धारा 379/411 ipc थाना पीजीआई लखनऊ।
2. मु0अ0स0 152/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3. मु0अ0स0 218/22 धारा 8/21 NDPS ACT थाना बीबीडी लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-137
दिनांक-20.01.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका

- **थाना नाका पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद पीली धातु की चेन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 20.01.2026 को थाना स्थानीय वादी श्री राकेश कुमार पुत्र राम नयन दूबे निवासी ग्राम मोहम्मद पुर पोस्ट बनियानी थाना बसखारी अम्बेडकरनगर उम्र 62 वर्ष द्वारा अपनी पत्नी की सोने की चेन चोरी हो जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थाना नाका पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त से संबंधित माल मुलजिमान की पतारसी सुरागरसी के क्रम में चेकिंग के दौरान दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास ढलान के पास से अभियुक्ता अंजना पुत्री अभिषेक निवासी मटियारी चिनहट लखनऊ उम्र 25 वर्ष को आज दिनांक 20.01.2026 को गिरफ्तार किया गया अभियुक्ता के कब्जे से वादी मुकदमा की 01 अदद पीली धातु की चेन बरामद करते हुये मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण

01-अंजना पुत्री अभिषेक निवासी मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 25 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 10/2026 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

04-बरामदगी:-

- 01 अदद पीली धातु की चेन

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक अभिनव कुमार वर्मा थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

2-व0उ0नि0 अवधेश कुमार यादव थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

3-उ0नि0 विश्वजीत सिंह थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

4-म0का0 रागिनी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-134
दिनांक- 20.01.2026

जोन-पूर्वी/थाना-विकासनगर

आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के थाना विकासनगर पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0न्यायालय द्वारा दुष्कर्म तथा पाक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति 5.0 के दृष्टिगत, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदया श्रीमती अपर्णा कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्वी व अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर व थानाध्यक्ष थाना विकासनगर आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार के द्वारा प्रभावी पैरवी व अथक प्रयास किया गया। थाना विकासनगर पुलिस ने बलात्संग और पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त राहुल दुबे को दोषसिद्ध कराते हुए माननीय न्यायालय से प्रत्येक धारा में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्योक धारा में 10,000-10,000/- रूपये के आर्थिक दण्ड की सजा व अर्थ दण्ड न देने पर 03 माह का कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा होगी।

02-फैसला का विवरण-

थाना विकासनगर पर पंजीकृत **मु0अ0सं-29/2017 धारा 376 भादवि एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वाद संख्या 195/2017** में माननीय न्यायालय स्पे0 जज पाक्सो II जनपद लखनऊ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 20.01.2026 को अभियुक्त राहुल दुबे पुत्र श्री जयनारायण दुबे निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हुसैनगंज, जनपद उन्नाव को दोष सिद्ध करते हुए धारा 376 भादवि एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000-10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थ दण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा, जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। इस प्रकरण में थाना विकासनगर पुलिस ने पैरवी में जो पेशेवर दक्षता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया, उसके परिणामस्वरूप पीड़िता को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

03- अभियुक्तगण का विवरण-

1. राहुल दुबे पुत्र श्री जयनारायण दुबे निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हुसैनगंज, जनपद उन्नाव।

04-पैरवीकर्ता-

1. थानाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. आरक्षी उमेश कुमार, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।